pun[53]

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मुरैना (म0प्र)

*****

क्रमांक / डीडीआरसी / 2024–25 / 791 मुरैना, दिनांक 17/09/24

विज्ञप्ति

उपसचिव म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय बल्लव भवन भोपाल के आदेश क्रमांक / 2475 / 1306216 / 23 / 26–2 भोपाल दिनांक 23.08.2023 एवं आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक / दि.सश.–2 / एफ–173 / 2024–25 / 2941 भोपाल दिनांक 30.08.2024 के निर्देशानुसार मुरैना जिला अन्तर्गत जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र में दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न सेवाए प्रदान करने हेतु निम्नानुसार पदो की पूर्ति हेतु एक वर्ष की संविदा मानदेय पर इच्छुक योग्यता धारी अभ्यर्थियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र.	पदनाम	पद संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मानदेय प्रतिमाह
1	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट	1	आर.सीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट(वीपीओ) में स्नातक	20500 (भारत सरकार द्वारा प्रदाय मानदेय)
2	सीनियर स्पीच थेरापिस्ट / ऑडियोलॉजिस्ट	1	ऑडियोलॉजी और स्पीच एण्ड लैग्वेज पैथौलौजी (बीएएसएलपी) में स्नातक / वी.एस.सी स्पीच एण्ड हियरिंग	20500 (भारत सरकार द्वारा प्रदाय मानदेय)
3	एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर	1	स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में पॉच वर्ष का अनुभव	18000 (भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा निराश्रित निधि से मानदेय / अंशदान)
4	प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थेटिस्ट / (टेक्निशियन)	1	प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थेटिस्ट में डिप्लोमा या तीन साल के अनुभव के साथ पी एण्ड ओ में प्रमाण पत्र	16000 (भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा निराश्रित निधि से मानदेय / अंशदान)
5	मोविलिटि इन्ट्रक्टर	1	10 वी पास गतिशीलता में सर्टिफिकेट / डिप्लोमा पात्रता अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एस.सी) या दृस्टिबाधित में डी.एड / बी.एड विशेष शिक्षा / (प्रकरण म0प्र0 हाई कोर्ट ग्वालियर में लंबित है। न्यायालय निर्णय के उपरांत नियमानुसार संविदा नियुक्ति की जावेगी	14500 (भारत सरकार द्वारा प्रदाय मानदेय)
6	वोकेश्नल काउंसलर कम कम्प्युटर असिस्टेंट	1	व्यावसायिक पुर्नवास में डिप्लोमा (डीवीआर) / बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी) / पुर्नवास विज्ञान में स्नातक	14500 (भारत सरकार द्वारा प्रदाय मानदेय)

(कलेक्टर / अध्यक्ष डी.एम.टी द्वारा अनुमोदित)

pun[54]

:–नियम शर्तेः–

1. आवेदक को इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन पत्र ए–4 साइज पेपर पर होना चाहिए जिसके निर्धारित स्थान पर आवेदक को हस्ताक्षर हो तथा निर्धारित स्थान पर आवेदक को नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो ग्राफ होना चाहिए ।
2. दिव्यांग आवेदको द्वारा शासन आदेशानुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र यू.डी.आई.डी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. समस्त प्रमाण पत्रो को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति सलग्न प्रेषित की जावे।
4. म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र./सी 3–38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04.07.2019 के अनुसार अभ्यार्थी की न्युनतम आयु 18 बर्ष एवं अधिकतम 40 बर्ष आरक्षित वर्ग–अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछडावर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियो/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिला (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 बर्ष। म0प्र0 के बाहर के अभ्यार्थियों की आयु सीमा शासन नियमानुसार मान्य की जावेगी।
5. म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक/सी 3–8/16/3/–एक भोपाल दिनांक 04.07.2019 के अनुसार आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
6. पदो के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांको के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी तथा प्रवीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियो का चयन किया जावेगा।
7. आवेदक को वॉकइन इन्टरव्यु/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है।
8. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों मे कार्यरत आवेदन कर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्ति कर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेगे, सीधे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. डिजीटल जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
10. वॉकइन इन्टरव्यु/साक्षात्कार के समय आने वाले आवेदको को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. अधूरी, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. आवेदक द्वारा लिफाफे पर अपना पूरा नाम एवं पता जैसा उसने अपने आवेदन पत्र में लिखा है स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना होगा।
13. निर्धारित समय अबधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उनपर विचार नहीं किया जावेगा। डॉक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए विभाग उत्तर दायी नहीं होगा ।
14. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण असत्य या त्रुटि पूर्ण पाई जाती है अथवा वाच्छित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
15. शासन के आदेशानुसार कोई भी अभ्यार्थी जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसे अभ्यार्थी

pun[55]

नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा लेकिन यदि बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक संताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा ।

16. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए मानदेय/संविदागत आधार पर होगी एक बर्ष पश्चात नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

17. आवेदन पत्र सीलबंद लिफाफे में दिनांक 15.10.2024 सांय 5 बजे तक कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ब्ही.आई.पी.रोड संजय कॉलोनी मुरैना में स्वयं अथवा डॉक से मान्य किए जावेगे इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

18. एडमिनिस्ट्रेंटिव ऑफीसर पद हेतु दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पॉच बर्ष का प्रशासकीय कार्य का अनुभव बेतन प्रमाण पत्र पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

चयन प्रक्रिया विवादित होने की स्थिति में अतिम निर्णय डीएमटी का मान्य होगा ।

19. विज्ञप्ति के सरल क्रमांक 3 को छोडकर सभी पदों के लिए आर.सी.आई जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

20. उपरोक्त विज्ञापन का अवलोकन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय बेबसाइड से डाउनलोड किया जा सकता है।

सदस्य/सचिव
जिला प्रबंधन दल (DMT) जिला विकलांग
पुनर्वास केन्द्र मुरैना (म0प्र0)